



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 भाद्र, 1948 (श०)

संख्या - 457 राँची, सोमवार,

31 अगस्त, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

11 मई, 2026

संख्या-5/आरोप-1-23/2023 का.-36150 (HRMS)--खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पत्रांक-1097 दिनांक-28.03.2023 के द्वारा श्री अरविन्द कुमार, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-78/20), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। उक्त आरोप पत्र में श्री कुमार के विरुद्ध मुख्यतः निम्नवत् 5(पाँच) आरोप प्रतिवेदित किया गया है:-

आरोप संख्या-1:- झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2022 के प्रावधानों (विशेषतः कंडिका-20(xix) एवं 20(xx)) का अनुपालन नहीं करने,

आरोप संख्या-2:- मनमाने तरीके से डीलरों को निलंबित करने एवं 10 दिनों के अंदर कार्यालय के कर्मियों के माध्यम से अवैध वसूली कर निलंबन मुक्त करने तथा गोदाम प्रबंधकों एवं डोर स्टेप डिलिवरी परिवहन अभिकर्ता से अवैध वसूली करने,

आरोप संख्या-3:- धान क्रय करने के उपरांत राशि के भुगतान करने में पारदर्शिता एवं समान भावना नहीं रखने, 52 पैक्स की खरीदारी के विरुद्ध मात्र 14 पैक्स के किसानों का भुगतान करने, गलत मंशा, अवैध राशि की उगाही एवं निजी स्वार्थ में किसानों के भुगतान में मनमानी एवं स्वेच्छाचारिता बरतने,

आरोप संख्या-4:- राशन कार्डधारियों के जाति में अवैध तरीके से परिवर्तन करते हुए गलत व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने

आरोप संख्या-5:- राईस मिलों की टैगिंग सही तरीके से नहीं करने, ससमय CMR जमा करवाने हेतु प्रभावी कार्रवाई नहीं करने, हजारीबाग राईस मिल के पास खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में CMR लंबित रह जाने से 24,33,13,351/- रुपये की राजस्व क्षति होने आदि,
2. उपर्युक्त आरोपों की जाँच हेतु विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विभागीय संकल्प संख्या 27026(HRMS), दिनांक- 23.08.2024 के द्वारा श्री अरविन्द कुमार, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक- 78/20), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा विभागीय कार्यवाही के उपरांत जाँच निष्कर्ष का प्रेषण उनके पत्रांक-497, दिनांक- 20.06.2025 के द्वारा की गयी। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री अरविन्द कुमार के विरुद्ध सभी आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया ।

4. श्री अरविन्द कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत साक्ष्यों को प्रदर्श(Exhibit) करने, संबंधित गवाहों/सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराते हुए पुनः जाँच करने तथा विभागीय कार्यवाही हेतु श्री सुनील कुमार, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को नामित करने एवं मूल अभिलेख को वापस करने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त किया गया। तदोपरांत विभागीय संकल्प संख्या 353, दिनांक-21.01.2026 के द्वारा मूल अभिलेख श्री सुनील कुमार, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को वापस करने हेतु जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का अनुरोध किया गया ।

5. विभागीय जाँच पदाधिकारी का पत्रांक-641, दिनांक-16.04.2026 के द्वारा पुनः साक्ष्यों को प्रदर्श कराने, सत्यापन कराने, परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराने संबंधी सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अंकित निष्कर्ष निम्नवत् है:-

“प्रस्तुत प्रकरण में आरोपित पदाधिकारी श्री अरविन्द कुमार, तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग के विरुद्ध लगाए गए आरोप संख्या-01 से 05 तक के समस्त बिंदुओं का अभिलेखों, साक्ष्यों, विभागीय पत्राचार, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य तथा आरोपित पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत बचाव-बयान/पूरक बचाव-बयान के आलोक में सम्यक् परीक्षण/प्रतिपरीक्षण किया गया।

इस समग्र परीक्षण/प्रतिपरीक्षण के आधार पर निम्न निष्कर्ष उभरकर सामने आते हैं—

1. आरोप संख्या-01 में ऑफलाइन माध्यम से निलंबन की प्रक्रिया अपनाने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रक्रियात्मक त्रुटि प्रतीत हुआ, किन्तु साक्ष्यों से यह स्पष्ट हुआ कि संपूर्ण प्रक्रिया

विधिसम्मत थी तथा ऑनलाइन प्रविष्टि में विलंब परिस्थितिजन्य (कंप्यूटर ऑपरेटर की अनुपस्थिति) था। उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा अपने पत्रांक-1036 दिनांक-03.10.2023 में भी स्पष्टीकरण को संतोषजनक माना गया। अतः यह आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

2. आरोप संख्या-02 में अवैध वसूली एवं अन्य अनियमितताओं के आरोप के संदर्भ में शिकायतकर्ता द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोपित पदाधिकारी द्वारा समय पर स्पष्टीकरण दिया गया तथा स्वयं अनियमितताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई (FIR, ब्लैकलिस्टिंग आदि) की गई। उपायुक्त द्वारा भी आरोपों को अस्वीकार्य माना गया। अतः यह आरोप निराधार एवं अप्रमाणित है।

3. आरोप संख्या-03 में धान भुगतान में चयनात्मकता एवं अनियमितता का आरोप लगाया गया, किन्तु अभिलेखों से यह स्पष्ट हुआ कि भुगतान निधि की उपलब्धता एवं आवश्यक अभिलेखों की प्राप्ति पर आधारित था। किसी प्रकार की मनमानी या दुर्भावना सिद्ध नहीं हुई। अतः यह आरोप भी प्रमाणित नहीं होता है।

4. आरोप संख्या-04 में राशन कार्डों के अवैध रूपांतरण का आरोप था, परंतु जांच से स्पष्ट हुआ कि DSO लॉगिन का अनधिकृत उपयोग कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा किया गया। आरोपित पदाधिकारी द्वारा मामला संज्ञान में आने के साथ ही स्वतः संज्ञान लेते हुए तत्काल मामले में FIR, कंप्यूटर ऑपरेटर का निष्कासन, सुधारात्मक कदम उठाया गया। इससे यह प्रमाणित होता है कि राशन कार्ड के रूपांतरण में इनकी कोई संलिप्तता नहीं थी। उपायुक्त हजारीबाग द्वारा भी इसे संपुष्ट किया गया है। अतः यह आरोप सिद्ध नहीं होता है।

5. आरोप संख्या-05 में राइस मिल चयन एवं अनुश्रवण में अनियमितता का आरोप लगाया गया, किन्तु यह पाया गया कि जिला स्तरीय धान अधिप्राप्ति से संबंधित चयन अनुश्रवण व कार्यन्वयन समिति उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित है एवं उसी के द्वारा उक्त कार्य का संचालन किया गया है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा धान अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यों का स्वतः निरीक्षण व पर्यवेक्षण किया गया साथ ही अनियमितता संज्ञान में आने पर प्रशासनिक व दंडात्मक (कार्रवाई व प्राथमिकी दर्ज) कार्यवाही भी सुनिश्चित किया है। उपायुक्त द्वारा भी स्पष्टीकरण को स्वीकार करने की अनुशंसा की गई। अतः यह आरोप भी प्रमाणित नहीं होता है।"

6. अतः समीक्षोपरान्त, विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पत्रांक-1097 दिनांक-28.03.2023 के द्वारा श्री अरविन्द कुमार के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों से श्री अरविन्द कुमार, झां०प्र०से०(कोटि क्रमांक-78/20), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग को आरोप मुक्त किया जाता है।

7. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय तथा इसकी प्रति श्री अरविन्द कुमार, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-78/20) एवं अन्य संबंधित को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ARVIND KUMAR 20080400079	समीक्षोपरान्त, विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पत्रांक.1097 दिनांक.28.03.2023 के द्वारा श्री अरविन्द कुमार के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों से श्री अरविन्द कुमार, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक.78/20), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
